यह निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राज्य परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तराखंड, देहरादून के 01/2010 (date of start office) से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 09-07-2018 से 20-07-2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2010 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है इकाई का क्रियाकलाप प्रौढ़ शिक्षा तथा उसके क्रियान्वयन संबंधी वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन `	व्यय `	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2010-11					
2011-12					
2012-13					
2013-14					
2014-15		-------शून्य------			
2015-16					
2016-17					
2017-18					

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम			प्राप्त `			व्यय `	बचत
		OB	INTT	GoI	State	Total		
2009-10	साक्षर भारत कार्यक्रम	0	0	794.11	183.10	977.21	0	977.21
2010-11		977.21	56.24	190.93	145.25	1369.63	228.63	1141.00
2011-12		1141.00	166.27	2841.73	947.25	5096.25	1584.80	3511.45
2012-13		3511.45	151.17	547.53	182.51	4392.66	2021.68	2370.98
2013-14		2370.98	168.58	1563.12	521.04	4623.72	2574.91	2048.81
2014-15		2048.81	145.67	781.88	245.63	3221.99	314.69	2907.30
2015-16		2907.30	125.14	1216.80	273.86	4523.10	1305.85	3217.25
2016-17		3217.25	176.72	0.00	0.00	3393.97	977.99	2415.98
2017-18		2415.98	160.16	0.00	0.00	2576.14	55.59	2520.55
योग:		18589.98	1149.95	7936.10	2498.64	30174.67	9064.14	21110.53

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2010-11	**----शून्य------**	
2	2011-12		
3	2012-13		
4	2013-14		
5	2014-15		
6	2015-16		
7	2016-17		
8	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जा रहा है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “ए” श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न है।

State Literacy Mission Authority Uttarakhand

(Structural Organization)

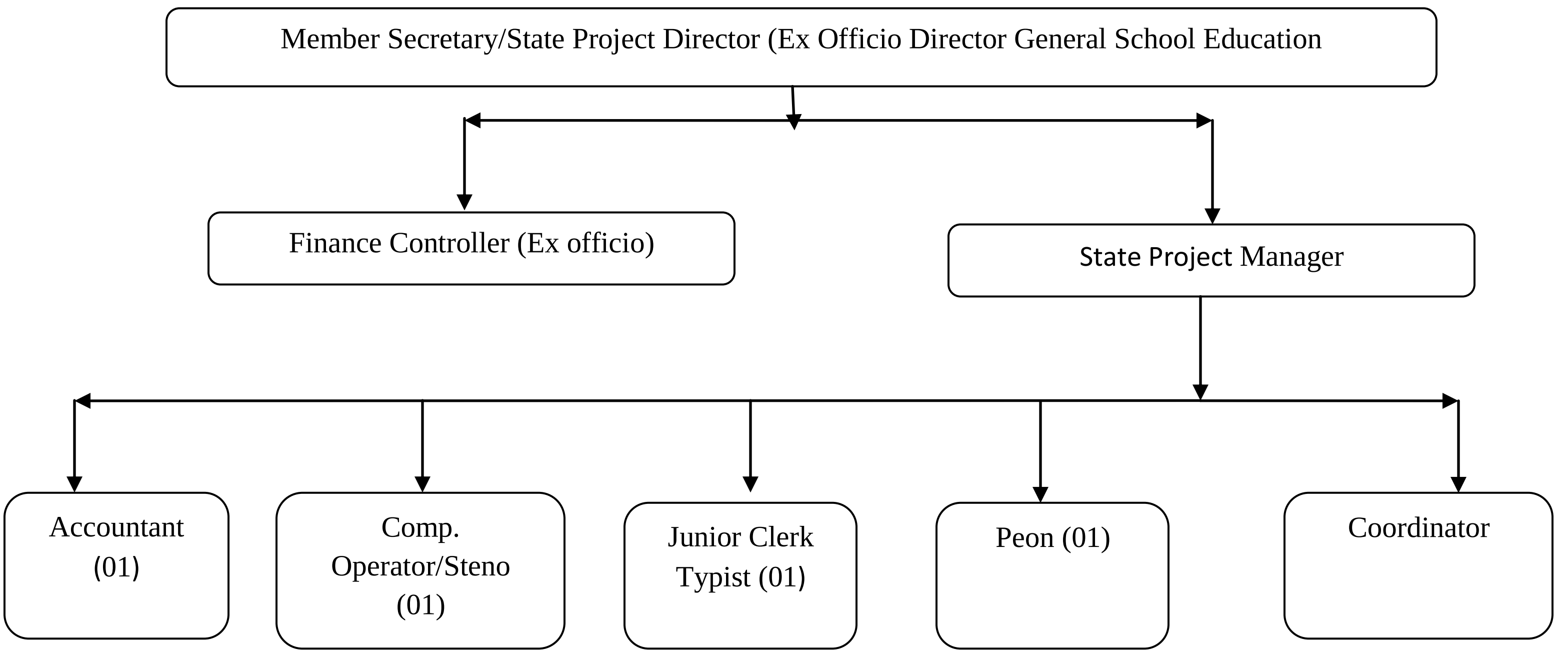

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह मार्च 2012, जनवरी 2013, जुलाई 2013 एवं अगस्त 2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। परियोजना प्रबन्धक स्तर पर योजनाओ का संचालन नहीं किया जाता है योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि जिला, ब्लॉक एवं गाव स्तर पर अधिकृत (authorised) कर दी जाती हैं।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1: वित्तीय अनुश्रवण की कमी के कारण प्रेरक मानदेय मद मे रु 16.49 करोड़ के दायित्व का सृजन।

विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र[1] द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंध मे निर्देशित किया गया था कि " स्वीकृत मानदंडो के अनुरूप तथा मदवार स्वीकृति के अनुरूप व्यय किया जाना चाहिए। योजना के क्रियान्वयन मे वर्ष के दौरान सृजित दायित्व को उसी वर्ष के दौरान पूर्ण किया जाना चाहिए।"

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस एल एम ए) के वार्षिक लेखा विवरण की जांच मे देखा गया कि प्रेरकों के मानदेय मद मे दायित्व सृजित था, इस संबंध मे उत्तराखंड शासन के पत्र[2] के अनुसार शिक्षा प्रेरकों के सितंबर 2017 तक के मानदेय मद मे रु 16.49 करोड़ की देनदारी थी, राज्य सरकार इस व्यय भार को वहन करने की स्थिति मे नहीं थी। इसी पत्र मे उल्लेखित था कि पुनः विस्तारित अवधि माह अक्तूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक के मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है परंतु इस अवधि के मानदेय के आगणन को पत्र मे नहीं लिया गया था तथा भारत सरकार के अनुदान से राज्य मे संचालित उक्त योजना को समाप्त कर दिया गया था (01.01.2018)।

इस प्रकार, योजना के क्रियान्वयन मे प्रभावी वित्तीय प्रबंधन एवं अनुश्रवण की कमी के कारण रु 16.49 करोड़[3] का दायित्व सृजित हुआ था (जुलाई 2018)। इकाई के योजना संबंधी बैंक खाते मे रु 13.63 करोड़ अवशेष था (जुलाई 2018)।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर तथ्यो को स्वीकार करते हुए इकाई ने बताया कि भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने से तथा अन्य मदों मे उपलब्ध धनराशि, जो कि रु 13.70 करोड़[4] था, से प्रेरक मानदेय के भुगतान की अनुमति न मिलने के कारण उक्त देयता है। अनुमति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से पत्राचार किए जा रहे थे। उक्त खाते पर अर्जित ब्याज रु 11.50 करोड़ को भारत सरकार एवं राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था (अप्रैल 2018)।

इस प्रकार वित्तीय अनुश्रवण की कमी के कारण प्रेरक मानदेय मद मे रु 16.49 करोड़ के दायित्व सृजन का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

---

[1] संख्या F No. 9-2/2012 - NLM -1 दिनांक 21 मई , 2012

[2] संख्या 162 / XXIV (1) / न सृ अनु /14/2009 दिनांक 25 जनवरी 2018

[3] प्रेरकों की कुल संख्या 5155 * रु 2000/- (प्रति माह मानदेय) * 16 माह (जून 2016 से सितम्बर 2017) = रु 16.49 करोड़

[4] (i) Basic literacy: Rs 3.27 crore, (ii) Continuing education: (a) Non recurring: Rs 2.55 crore, (b) Recurring Rs 7.43 crore, (iii) Community mobilization campaign: Rs 0.19 crore, (iv) Training of coordinators: Rs 0.04 crore, and (v) Monitoring, Managements and Evaluation: Rs 0.22 crore

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
		उपरोकतानुसार		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   -शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

   -शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1。	श्रीमती राधिका झा (I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	2 4-09-2010 से 16-08-2010
2。	श्री आर。 के。 कुँवर (पी.ई.एस.)	राज्य परियोजना निदेशक	17-08-2010 से 26-08-2010
3。	श्रीमती सौजन्या (I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	27-08-2010 से 03-08-2011
4。	श्री डी。 सैन्थिल पाण्डेयन(I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	04-08-2011 से 02-05-2012
5。	श्री पी。 एस。 जंगपांगी (I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	07-05-2012 से 04-04-2013
6。	श्रीमती राधिका झा (I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	05-04-2013 से 11-01-2015
7。	श्री डी。 सैन्थिल पाण्डेयन(I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	12-01-2015 से 02-08-2016
8。	रंजना (I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	05-08-2016 से 06-12-2016
9。	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी (I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	09-12-2016 से 27-04-2017
10。	कैप्टन आलोक शेखर तिवारी (I.A.S.)	राज्य परियोजना निदेशक	28-04-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राज्य परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तराखंड, देहरादून,** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, “महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.